न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या– 108/12

रामकरन आदि–––बनाम––– राजनाथ आदि

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग 2

दिनांक–03.11.2021

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग 2 प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं०–4 व 5 द्वारा इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा फरीक मुकदमा बनाया गया है। जिसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को कभी नहीं रही, न ही प्रार्थीगण को कोई सम्मन नोटिस तथा रजिस्ट्री ही प्राप्त हुआ है। गाँव में अफवाहन पता चला कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 प्रार्थीगण की आबादी व निर्माण के बावत मुकदमा दायर करके दुरभिसंधि पूर्ण ढंग से फैसला कराने के कोशिश में है जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण न्यायालय आये तो पता चला कि प्रार्थीगण के विरूद्ध 15.12.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश अग्रासरित कर दिया गया है। उपरोक्त के प्रकाश में पारित आदेश दिनांक 15.12.2020 रिकाल करके जवाबदावा का अवसर प्रदान किये जाने की याचना प्रतिवादी सं०–4 व 5 द्वारा की गयी।

वादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं०–4 व 5 द्वारा आदेश दिनांकित 15.12.2020 को रिकॉल कराये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र कागज सं० 93 ग 2 प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी सं०–4 व 5 का कथन है कि प्रार्थीगण को दौरान मुकदमा फरीक मुकदमा बनाया गया किन्तु इसके संबंध में प्रार्थीगण को न तो कोई सम्मन नोटिस या रजिस्ट्री प्राप्त नहीं हुआ। अफवाहन गांव में पता चला कि प्रार्थीगण के विरूद्ध मुकदमा हुआ है तो प्रार्थीगण न्यायालय आये तो पता चला कि प्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित नहीं करना चाहिए। वादी द्वारा विलम्ब के बावत मौखिक आपत्ति की गयी है। जहाँ तक वादी को विलम्ब से कारित क्षति का प्रश्न है तो हर्जे से इसकी भरपाई सम्भव है। अतः सुनवाई का अवसर देने तथा मामले को गुणदोष पर पूर्ण व अन्तिम रूप से निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग 2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०–93 ग 2 300/–रू० हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित 15.12.2020 रिकॉल किया जाता है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र शामिल पत्रावली हो। पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष में निस्तारित किये जाने का आदेश प्राप्त है। अतः किसी भी पक्षकार का कोई भी मौका प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। पत्रावली वास्ते जिरह पी०डब्ल्यू०–1/ अतिरिक्त वादु विन्दु दिनांक –19.11.2021 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ०कोड यू०पी० 2520